तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1987/2005/श्रीगंगानगर गुरनामसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री सतवीरसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 03.05.2019

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–02–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि चक 56 जीबी (ए) के मु.न. 20 (पुराना 64) के किला नम्बर 1 ता 15 की 25बीघा भूमि महेन्द्र सिंह पुत्र बूटासिंह एवं सुहेलसिंह पुत्र बूटासिंह को दिनांक 14–3–1962 को आवंटित हुई। आवंटित भूमि का प्रथम बैचान दिनांक 18–09–1967 को होने से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए(1ए) का उल्लघन होना मानते हुए उक्त विवादित आराजी को अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 23–06–2001 से बहस रिज्यूम सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये। अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–02–2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1987/2005/श्रीगंगानगर गुरनामसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी आवंटी से दिनांक 20-6-1974 एवं 25-3-1975 को जरिये बैयनामा खरीद की, जिसके आधार पर उनके पक्ष में नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक हो चुका है तथा बतौर खरीददार काबिज काश्त है। उनका कथन है कि प्रथम बैचान दिनांक 18-9-1967 बाबत् कोई विक्रयपत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त बैचान के आधार पर विवादित आराजी को बहक रिज्यूम सरकार लिये जाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि प्रथम बैचान बाबत् अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार से दस्तावेजी साक्ष्य तलब करनी चाहिए थी, उसके उपरान्त ही विवादित आराजी बाबत् विधिसम्मत् निर्णय पारित करना चाहिए था। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी वर्ष 1974 व 1975 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की है, जिसकी शमन फीस बाबत् क्रेतागण अपीलार्थीगण की ओर से शमनफीस जमा कराने हेतु नियमानुसार नोटिस जारी करने का निवेदन किया किन्तु अपीलार्थीगण के उपस्थित होने के उपरान्त भी अतिरिक्त कलक्टर ने क्रेतागण से शमनफीस जमा कराने बाबत् कोई आदेश नहीं दिये और रकबे को रिज्यूम सरकार लिये जाने के आदेश पारित कर दिये। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1987/2005/श्रीगंगानगर गुरनामसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 14-03-1962 को हुआ तथा आवंटी द्वारा आवंटित भूमि का बैचान दिनलांक 18-9-1967 को आवंटन के सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व तथा खातेदारी सनद जारी होने से पूर्व कर दिया, जो राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए(1ए) का उल्लघन है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा भी विवादित आराजी की शमनफीस जमा नहीं करवाई गयी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 56 जीबी (ए) के मु.न. 20 (पुराना 64) के किला नम्बर 1 ता 15 की 25बीघा भूमि महेन्द्र सिंह पुत्र बूटासिंह एवं सुहेलसिंह पुत्र बूटासिंह को दिनांक 14-3-1962 को आवंटित हुई, जिसके द्वारा आवंटित भूमि का बैचान दिनांक 18-9-1967 को आवंटन की दिनांक से सात वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व तथा आवंटित भूमि की खातेदारी सनद जारी होने से पूर्व कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए(1ए) का स्पष्टतयाः उल्लघन हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1987/2005/श्रीगंगानगर गुरनामसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण द्वारा विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20-6-1974 एवं 25-3-1975 से क्रय की गयी तथा क्रेतागण अपीलार्थीगण द्वारा भी विवादित भूमि की शमनफीस जमा नहीं करवाई गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पुष्टि की जाती है। न्यायहित में अपीलार्थीगण राजस्थान उपनिवेशन (कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1975 के नियम 21(ए) तहत सक्षम न्यायालय में आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र होगे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	